उत्तराखण्ड शासन
नियोजन अनुभाग–1
संख्या– 206 /XXVI/एक(5)/2018
देहरादून: दिनांक 14 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

युवा पेशेवरों के नये दृष्टिकोण/कौशल के सहयोग से विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाये जाने तथा ऐसे पेशेवरों को विभागीय कार्यों के सम्पादन/तकनीक से रूबरू कराने हेतु "युवा पेशेवरों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का व्यवहारिक ज्ञान तथा कार्यदक्षता बढ़ाये जाने तथा सामाजिक अनुभव की आवश्यकता के दृष्टिगत, विभागों में सम्पादित किये जाने वाले सरकारी/गैर सरकारी सेवाओं के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के ज्ञान तथा उनके तकनीकी कुशलता के संवर्धन हेतु, उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ग्यारह माह के लिए **मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति, 2019** के प्रस्तर–11.1 में युवा पेशवरों को रू0 15000/– प्रतिमाह टोकन वृत्तिका निर्धारित की गयी है।

2– उक्त सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति, 2020** के प्रस्तर–11.1 में युवा पेशवरों को रू0 15000/–. प्रतिमाह टोकन वृत्तिका के स्थान पर रू0 35000/– प्रतिमाह टोकन वृत्तिका अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की उक्त अधिसूचना संख्या–74, दिनांक 22 फरवरी, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 595/xxvii(7)/2020 दिनांक 31/08/2020 में उनके द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 206 /XXVI/एक(5)/2018–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री को मा0 नियोजन मंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड निबूवाला, गढ़ीकैंट, देहरादून।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
9. आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।